- Speed limit of 30-40 KMPH is permissible inside the IIT Campus.
- Do not park on road sides and unauthorized places.
- At night, drive with dipper only.
- No triple riding on two wheeler and double riding on bicycles.
- Use helmet when driving two wheelers.
- Do not use mobiles while riding/ driving/ or while walking on road.
- Students will not drive two/ four wheeler unless authorized/ permitted by Dean (SA).
- Rickshaw parking will be allowed only at designated parking places.
- Don't drive vehicle inside the campus in drunken state.
- Driving of two/ four- wheeler inside Campus is not allowed for children below 18 years.
- No auto-rickshaws, vans, cars or Lorries belonging to a non-resident can be parked overnight in the campus premises. Such parking will be allowed only on specific request by the department/ individual concerned.
- Blowing of horns near the hospital, schools, administrative building, departments and hostels is not permitted.
- Parking of vehicles at any place is at owner's risk. Parking of vehicle in the designated place, without a valid sticker, is not permitted.
- Don't forget to lock your bicycle/ motorbike, while parking in any place (Academic/ Residential) of the campus.

Looking forward for kind co-operation from everyone to make IIT campus more safe and secure.

With best regards,

BY ORDER



- आईआईटी परिसर के अंदर गति सीमा 30-घंटा है।/किमी 40
- अनाधिकृत जगहों तथा सड़क के किनारे गाड़ी खड़ी न करें।
- रात में केवल डिपर लाइट का प्रयोग करें।
- दो पहिया वाहन पर तीन की सवारी तथा साइकिल पर दो की सवारी न करें।
- दो पहिया वाहन चलाते समय हेलमेट का उपयोग करें।
- गाड़ी चलाते या सड़क पर घूमते समय मोबाइल फोन इस्तेमाल न करें।
- विदयार्थी गण संकायाध्यक्ष के आज्ञा के (विदयार्थी मामले)बिना किसी वाहन का प्रयोग न करें।
- रिक्शा निर्धारित पार्किंग जगहों पर ही पार्किंग की अन्मित होगी।
- परिसर के अंदर नशा करके गाड़ी न चलाएं।
- अठारह वर्ष से कम उम्र के बच्चों को परिसर के अंदर दो चार पहिया वाहन चलाने की अनुमित नहीं है। /
- परिसर क्षेत्र में गैरनिवासी- रात में ऑटो कार या लॉरी पार्क नहीं कर सकते हैं। इस प्रकार की पार्किंग करने की अनुमित ,वैन ,रिक्शा-संबंधित व्यक्ति के अन्रोध पर ही दी जाएगी। / केवल विभाग
- अस्पतालविभाग तथा छात्रावासों के नजदीक हॉर्न बजाना मना है। ,प्रशासनिक भवन ,विद्यालय ,
- िकसी भी जगह पर गाड़ियों की पार्किग उनके मालिकों की जिम्मेदारी है। निर्धारित जगहों पर बिना वैध स्टीकर के गाड़ी पार्क करने ,
 अनुमति नहीं है।
- साइकिल उसे लॉक करना ना भूलें। ,पर रखते समय (आवासीय / शैक्षणिक) मोटरसाइकिल परिसर में किसी भी जगह /

आईआईटी परिसर को और अधिक सुरक्षित तथा भय मुक्त बनाने हेतुआप सभी का सहयोग अपेक्षित है। साभार,

आदेशान्सार



সুরক্ষা অনুভাগ, আই .আই .টি . খড়গপুর ট্রাফিক নিয়ম সন্মতি পালন

- আই .আই .টি . কেম্পাসের ভিতর অনুমোদিত গাড়ীর গতিসীমা ৩০ থেকে ৪০কি .মি প্রতি ঘন্টা।
- রাস্তার ধারে বা অননুমোদিত জায়গায় পার্ক করিবেন না।
- রাত্রে গাড়ী চালানোর সময় ডিপার হেড-লাইট ব্যবহার করুন।
- দু-চাকার গাড়ীতে দুয়ের অধিক যাত্রী এবং বাই সাইকেলে দুজন যাত্রী নিয়ে চলাচল করিবেন না।
- দু-চাকার গাড়ী ড্রাইভিংএ শিরস্ত্রান (হেলমেট) ব্যবহার করিবেন।
- গাড়ী চালানোর বা হাটার সময় মোবাইল ব্যবহার করিবেন না ।
- ভীন (এস.এ) এর অনুমোদন না নিয়ে শিক্ষার্থীরা দু-চাকার গাড়ী চালাইবেন না।
- রিকসার জন্য অনুমোদিত জায়গাতেই রিক্সা পার্কিং করিবেন।
- নেশাগ্রস্থ অবস্থায় ক্যাম্পাসের মধ্যে গাড়ী চালাবেন না।
- ১৮ বছর ব্যাসের নীচের ব্যক্তিদের কেম্পাসের ভিতর দুই বা চারচাকা চালানোর অনুমতি নেই।
- অনাবাসিকের জিনিসপত্র নিয়ে কোনও অটোরিক্সা, ভ্যান, গাড়ী বা ট্রাক (লরি) রাতে
 ক্যাম্পাসের মধ্যে পার্কিং নিষিদ্ধ, শুধুমাত্র সংগ্লিষ্ঠ বিভাগ বা ব্যক্তির অনুরোধেই পার্কিং এর
 অনুমতি দেওয়া হইবে।
- হাসপাতাল, স্কুল, প্রশাসনিক ভবন বা বিভাগ এবং হোসটেলের কাছাকাছি হর্ন বাজানো নিষিদ্ধ।
- যে কোন স্থানে গাড়ী পার্কিং হইলে দায়িত্ব আরোহিরই থাকিবে বৈধ স্টিকার ছাড়া নির্দিষ্ট স্থানে গাড়ীর পাকিং অনুমোদিত নয়।
- ক্যাম্পাসের যেকোন স্থানে পার্কিংয়ের সময় সাইকেল,মোটর বাইক লক করতে ভুলবেন না।
 আই.আই.টি ক্যাম্পাসকে আর ও নিরাপদ ও সুরক্ষিত করার জন্য সবাইয়ের সহযোগিতা
 একান্ত কায়্।

BY ORDER